



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28112022-240609
CG-DL-W-28112022-240609

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2022, शनिवार/ कार्तिक 22—कार्तिक 28, 1944
No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2022, SATURDAY/KARTIKA 22— KARTIKA 28, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन विभाग, बहुकार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग') भर्ती नियम 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **प्रारंभिक गठन.**—इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में दर्शित पद के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गए थे, उन्हें इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और इन नियमों के प्रारंभ से पहले उनके द्वारा की गई सेवा को अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	08*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, मिजोरम,

					अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पंगी उप खंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित तारीख निर्धारित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रिक-सेशन उत्तीर्ण या उसके समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग (2) अवर सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग (3) अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/3/2022 प्रशासन-I]

योगेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Fisheries, Multi Tasking Staff (Group ‘C’) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification & etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Initial constitution.—The incumbents of the posts shown in column (1) of the Schedule annexed to these rules who were appointed on regular basis to the post before the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post before the said commencement shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

5. Disqualifications.—No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	08* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group “C”, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (18000-56900)	Not applicable.	Between 18 to 25 years of age Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak and Sipti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or its equivalent	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' departmental Promotion Committee: (1) Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries (2) Under Secretary (Admn), Department of Fisheries (3) Under Secretary (General Administration), Department of Fisheries	Not applicable.

[F. No. A-12018-3/2022 Admn I]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 170.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम मत्स्यपालन विभाग, स्टाफ कार चालक श्रेणी-I (समूहग) भर्ती नियम 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति -
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	01 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200-92300रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारी: (i) जो मूल मंत्रालय या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में स्टाफ कार चालक श्रेणी में सेवारत हों। (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी II जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो या जिन्होंने स्टाफ कार चालक श्रेणी II और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और चालक के रूप में समान सेवा की हो और जिन्होंने उपरोक्त प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए यथाविहित चालक (जो भी पदनाम हो) के रूप में उसी प्रकार की सेवा की हो। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2022 प्रशासन-I]

योगेंद्र कुमार, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2022

G.S.R. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver Grade I in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: —

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Department of Fisheries, Staff Car Driver Grade I (Group 'C') Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification & etc. .—The method of recruitment, to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.— No Person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Staff Car Driver Grade I	01 (2022) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (29200-92300)	Not Applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	By Deputation/ absorption, failing which by re-employment

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Deputation/Absorption: Officials of the Central Governments: (i) Staff Car driver Grade I in level 5 of the pay matrix in the parent Ministry or Department, (ii) Staff Car Driver Grade II in level 4 of the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Government.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and in same level and having same service as Driver (whatever the designation), as prescribed for Deputation/Absorption above shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they shall be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A-12018/2/2022 Admn I]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.